DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
GOVT. OF NCT OF DELHI
SEWA KUTIR COMPLEX, KINGSWAY CAMP, DELHI-110009.

F.No.76(275)/PMMVY/DWCD/Vidhan Sabha/2019-20/54 Dated: 22/08/19

To

The Deputy Secretary (Question branch)
Delhi Vidhan Sabha Sectt.
Old Sectt. Delhi-110054.

Sub:- Reply of Vidhan Sabha unstarred Question No. 173 (asked by Shri Surendra Singh)

Sir,

Please find enclosed 100 copies of reply of Vidhan Sabha unstarred Question No.173 dt 26/08/2019 along with PDF file (asked by Shri Surendra Singh) for further necessary action at your end.

This issues with the prior approval of competent authority.

Encl.: As Above

Yours Faithfully

S.C.Vats
Joint Director (FAS)

(S. C. VATS)
Joint Director (DOP)
Deptt. of Women & Child Development
Govt. of Delhi
K.G. Marg, New Delhi-110001

Scanned by CamScanner

विभाग का नाम - महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार

विभाग का पता -:सेवा कुटीर परिसर, किंग्सवे कैंप, दिल्ली -100009

अतारांकित प्रश्न संख्या- 173

दिनांक - 26-8-2019

प्रश्नकर्ता का नाम – श्री सुरेंदर सिंह

माननीय उप मुख्यमंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि

प्रश्न	उत्तर
क) समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवा आर्थिक सहायता तथा विधवा की पुत्री की शादी के लिए आर्थिक सहायता के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किन किन दस्तावेजों के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है;	विधवा महिला के पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता 1. आवेदन से पूर्व दिल्ली में रहने का पांच वर्ष का प्रमाण। 2. पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र 3 पुत्री का जन्म प्रमाण–पत्र / स्कूल प्रमाण–पत्र 4 पुत्री के विवाह का कार्ड 5 बैंक पासवुक 6- आवेदन पत्र स्थानीय सांसद या विधायक द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
ख) क्या गरीबी रेखा के नीचे स्तर के व्यक्तियों को सरकार द्वारा कोई सहायता प्रदान की जाती है;	इस विभाग द्वारा विधवा पेंशन के तहत 100000/-रूपए से कम आय वाली गरीब विधवा महिलाओ को पेंशन का भुगतान किया जाता है । विधवा महिला की पुत्री के विवाह हेतु पारिवारिक आय 60000/- रूपए से कम आय वाली महिलाओ को आर्थिक सहायता का भुगतान भी किया जाता है । यह स्पष्ट करना आवश्यक हैं कि योजना में गरीबी रेखा का उल्लेख कही नही हैं ।
ग) यदि हॉ, तो कौन कौन सी सहायता किन किन दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की जाती है.	उपरोक्त (ख) के अनुसार ।
घ) विभाग द्वारा सहायता राशि प्रदान करने के लिए दिल्ली में रहने का अधिकतम कितने वर्ष का रिहायशी प्रमाण होना जरुरी है और क्यों;	न्यूनतम 5 वर्ष रिहायशी प्रमाण होना जरुरी है।
ड) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा लाभार्थियों को राशि प्रदान करने पर यह राशि अन्य लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा हो जाती है;	विभाग द्वारा लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में राशि का भुगतान किये जाने से ऐसे मामले यदा - कदा ही आते हैं ।
च) यदि हॉ, तो उसके क्या कारण हैं;	उपरोक्त (ड.) के अनुसार ।
छ) वर्ष 2014 से 01 अगस्त 2019 तक कितने ऐसे मामले सामने आये, सम्पूर्ण विवरण प्रदान किया जाये;	उपरोक्त (ड.) के अनुसार ।
ज) सहायता राशि हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने के कितने दिनों के बाद विभाग द्वारा आवेदक को राशि का भुगतान किया जाता है; और	सम्पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन एवं निरिक्षण रिपोर्ट के प्राप्ति के के अगले माह से।
झ) निर्धारित समय सीमा से अधिक दिनों के बाद भी सहायता राशि का भुगतान न होने पर विभाग द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी; पूर्ण विवरण दे ।	ऐसा कोई मामला विभाग के सामने नहीं आया है।

24/08/19

DD (FAS)
Deptt. of Women & Child Development
Govt. of NCT of Delhi

Scanned by CamScanner